

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1  
(for linear projects)

No--- 1082 / XXVI-150 (2016-17 dt) Government of Uttarakhand Office of the District Collector-----

Dated----- 25/03/2017

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5<sup>th</sup> February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.785 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of **P.W.D. Kirtinagar** (name of user agency) for **Jamnikhali to Barguru to Bhainskot** (purpose for diversion of forest land) in **Tehri** district falls within jurisdiction of Jogiyala----- village (s) in **Devprayag** tehsils.  
It is further certified that:

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure ...to ...annexure....
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

(Full name and official seal of the District Collector)

Dated-- 25/03/2017

(इन्दुधर चौड़ाई)  
Signature  
जिला अधिकारी  
टिहरी गढ़वाल।

It is further certified that – Minutes of meeting of Jamnikhal to Chaudiyon to Barguru to Bhainskot Motor Road (4.500 km.) regarding FRA is as following.

| Sr. No. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Remarks                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a)     | The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire <b>1.785 hectares</b> of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure. | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.                                                                                                            |
| (b)     | The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.                                                                                                                                                                                                      | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached. |
| (c)     | The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.                                                                                                                                                                                                                                                                           | Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.                                                                                                            |

20  
जिला पंचायत सदस्य  
जिला पंचायत-भल्लगांव-37  
जिल्हा गढवाल

जिला समाज कल्याण अधिकारी  
जिल्हा समाज कल्याण  
टिहरी गढवाल

प्रभारीय घनाधिकारी  
नरेन्द्र नगर वन प्रभाग  
मुनि-को-रेती  
मुनिकीरेती

Signature

( इन्दुवर बोझाई )  
जिला अधिकारी  
District Collector

प्रपत्र-302

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

कार्यालय उप जिलाधिकारी, कीर्तिनगर  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, कीर्तिनगर

उपखण्ड कीर्तिनगर परिक्षेत्र के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग के (0.00 आरक्षित वन भूमि, 1.785 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.785 हे०) का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील देवप्रयाग) की दिनांक 12/8/16 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री कै.कै. मिश्र, उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

|   |                                     |                           |         |
|---|-------------------------------------|---------------------------|---------|
| 1 | श्री <u>कै.कै. मिश्र</u>            | उपजिलाधिकारी              | अध्यक्ष |
| 2 | श्री <u>डी.पी. बल्लो</u>            | उप प्रभागीय वनाधिकारी     | सदस्य   |
| 3 | श्री <u>विनायक कुमार उर्फ मिश्र</u> | सहायक समाज कल्याण अधिकारी | सदस्य   |
| 4 | श्री <u>विष्णु देवी</u>             | बी०डी०सी० क्षेत्र         | सदस्य   |

उपखण्ड स्तरीय समिति के माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.785 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, देवप्रयाग, उपवन प्रभाग नरेन्द्रनगर वन प्रभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड देवप्रयाग परिक्षेत्र के अन्तर्गत जामणीखाल रो बौड़ियों रो बारगुरु रो भैंसकोट मोटर मोटर मार्ग परियोजना के निर्माण हेतु 1.785 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

18/12/16  
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
कीर्तिनगर, दि. १८/१२/१६

तहसील देवप्रयाग  
जनपद टिहरी गढ़वाल

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

18/12/16  
उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उपखण्ड, स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील देवप्रयाग  
जनपद टिहरी गढ़वाल

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य।  
(लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

दिनांक 12-8-2016 उपखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति  
जनपद- टिहरी गढ़वाल।

|    |                                         |                              |            |                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------|------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | श्री के. के. मिश्र<br>कृष्ण कुमार मिश्र | उपजिलाधिकारी                 | अध्यक्ष    | <br>उप जिलाधिकारी<br>डी.टी.नगर, दि. 8.8.16 |
| 2. | डी० पी० बलोनी                           | उप प्रभागीय<br>वनाधिकारी     | सदस्य      | उप प्रभागीय वनाधिकारी<br>(देवप्रयाग)<br>नरेन्द्रनगर वन प्रभाग                                                                 |
| 3. | विमोद कुमार उन्नायक                     | सहायक समाज<br>कल्याण अधिकारी | सदस्य/सचिव | सहायक समाज कल्याण अधिकारी<br>नरेन्द्रनगर वन प्रभाग                                                                            |
| 4. | विशाला देवी                             | बी०डी०सी० क्षेत्र            | सदस्य      | सदस्य<br>बी०डी०सी० क्षेत्र<br>विशाला देवी                                                                                     |

परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य।  
(लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- जौबिघाणा (मल्डियाणा)  
तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड कीर्तिनगर में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट निर्माण के परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 आरक्षित वन भूमि, 1.785 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.785 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जौबिघाणा (मल्डियाणा) द्वारा दिनांक 5/1/16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जौबिघाणा (मल्डियाणा) ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

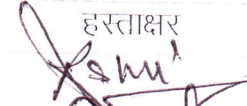
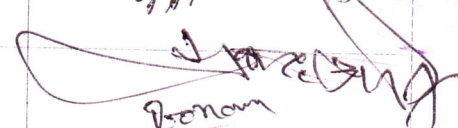
ह०/ विश्व कृष्ण विकास अधिकारी  
ग्राम सचिव विश्व कृष्ण देवप्रयाग

नोट : यदि किसी आदिवासी अथवा वनवासी की निजी भूमि प्रभावित हो रही है, तो तदनुसार उसका विवरण उक्त प्रपत्र में दिया जाय।  
उक्त प्रपत्र उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

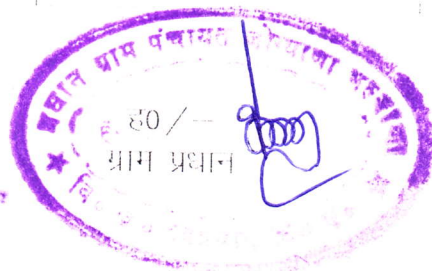


दिनांक 5/7/05 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत जोगियाणा (भालियाणा)

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम | हस्ताक्षर                                                                             |
|---------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1-      | सोनी राम सिंह                                    |     |
| 2       | बिक्रम सिंह रावत                                 |    |
| 3       | जोगी सिंह रावत                                   | जोगी सिंह                                                                             |
| 4       | बाले-पू सिंह                                     |     |
| 5       | अमरदीप                                           | अमरदीप                                                                                |
| 6       | दयाल सिंह                                        | दयाल सिंह                                                                             |
| 7       | पुष्पा देवी                                      |    |
| 8       | सुलोचना देवी                                     | सुलोचना देवी                                                                          |
| 9       | शकुन्तला देवी                                    |                                                                                       |
| 10      | संगीता देवी                                      | संगीता देवी                                                                           |
| 11      | सुमित्रा देवी                                    |  |
| 12      | कमला देवी                                        | कमला देवी                                                                             |
| 13      | कमल देवी                                         |   |
| 15      | प्रमोद जोशी                                      | प्रमोद                                                                                |
| 16      | राजेंद्र जोशी                                    | राजेंद्र जोशी                                                                         |
| 17      | माधवी जोशी                                       | माधवी                                                                                 |
|         | पुष्पा                                           | पुष्पा                                                                                |
|         | मोहिनी                                           | मोहिनी                                                                                |
| 18      | लक्ष्मी देवी                                     |  |
|         | लक्ष्मी देवी                                     | लक्ष्मी देवी                                                                          |

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत जोगियाणा  
जिला, दिल्ली



परियोजना का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य।  
(लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- भैंसकोट  
तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल

### अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत विकास खण्ड कीर्तिनगर में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट निर्माण के परियोजना के निर्माण हेतु (0.00 आरक्षित वन भूमि, 1.785 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.785 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत भैंसकोट द्वारा दिनांक 5/7/06 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत बर्बा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

बर्बा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम भैंसकोट के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

40/ ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत भैंसकोट  
नाम ग्राम पंचायत  
प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

80/

ग्राम प्रधान



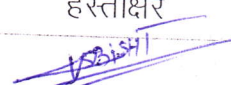
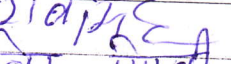
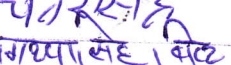
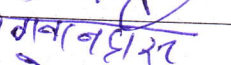
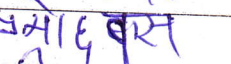
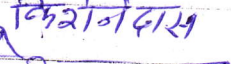
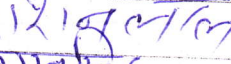
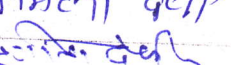
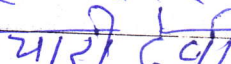
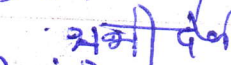
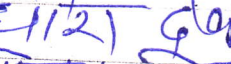
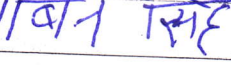
उक्त अनापत्ति उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्राप्त कर प्रयोक्ता एजेन्सी को उपलब्ध कराया जायेगा।

विशाल देवी  
सदस्य

ग्राम पंचायत-स्थायी  
वि. स. देवप्रयाग (टि० ६०)

दिनांक 5/7/2016 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत, औरंगाबाद

| क्रमांक | ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम  | हस्ताक्षर                                                                            |
|---------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1       | विनोद सिंह बिष्ट                                  |    |
| 2       | जयलाल सिंह बिष्ट                                  |    |
| 3       | विनोद सिंह बिष्ट                                  |    |
| 4       | विनोद सिंह                                        |    |
| 5       | जयलाल सिंह बिष्ट                                  |    |
| 6       | लुगणा सिंह बिष्ट                                  |    |
| 7       | राम दास धूनी क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत सदस्य |    |
| 8       | उमर सिंह बिष्ट                                    |    |
| 9       | भावांग दास                                        |    |
| 10      | प्रमोद दास                                        |   |
| 11      | किशन दास                                          |  |
| 12      | राजेश कुमार                                       |  |
| 13      | जगदीश सिंह शर्मा हुकूमत सिंह                      |  |
| 14      | प्रमिला देवी                                      |  |
| 15      | सगीमा देवी                                        |  |
| 16      | प्यारी देवी                                       |  |
| 17      | सुरेश दास                                         |  |
| 18      | शशी देवी                                          |  |
| 19      | निशा देवी                                         |  |
| 20      | नरिस देवी                                         |  |
| 21      | सोहन सिंह                                         |  |
| 22      |                                                   |                                                                                      |
| 23      |                                                   |                                                                                      |
| 24      |                                                   |                                                                                      |

ह0/-

ग्राम प्रधान

विशाला देवी

सदस्य

ग्राम पंचायत-औरंगाबाद

दिनांक 5/7/2016

